	छत्तीसगढ़ विधान सभा
	पत्रक भाग - एक संक्षिप्त कार्य विवरण
	पंचम विधान सभा नवम् सत्र अंक-04

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020

(पौष-3, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से तारांकित प्रश्न संख्या 01 से 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 45 तारांकित एवं 70 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट),

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2020-21 के बजट की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़

राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19,

पटल पर रखे।

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

3. पृच्छा

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर एवं बृजमोहन अग्रवाल, सदस्यों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

सभापति महोदय ने सूचित किया कि आपकी सूचना अग्राह्य कर दी गई है ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं को उपस्थिति कम बताकर परीक्षा में बैठने हेतु अपात्र घोषित किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण 12.20 बजे स्थगित की जाकर 12.32 बजे समवेत हुई ।)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर किसी न किसी रूप में कराये जाने का आग्रह किया ।

सभापति महोदय ने कथन किया कि इसे किसी न किसी रूप में ले लिया जावेगा ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री बृजमोहन अग्रवाल सदस्य ने प्रदेश में पुलिस प्रताड़ना व अभिरक्षा में मौतें होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर
(2) श्री नारायण चंदेल
(3) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
(4) श्री गुलाब कमरो
(5) श्री सौरभ सिंह

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 13, कुनकुरी से निर्वाचित सदस्य श्री यू.डी. मिंज द्वारा दिसंबर, 2020 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई ।)

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अजय चन्द्राकर, सभापति, लोक लेखा समिति ने समिति के इकतीसवां, बत्तीसवां, तैंतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां एवं छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

9. वक्तव्य

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोरोना वायरस के नये स्वरूप (MUTANT) के संबंध में वक्तव्य दिया ।

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

10. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के द्वीतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 10, 12, 13, 19, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 47, 64, 67, 68, 79, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर दो हजार तीन सौ छियासी करोड़, सनतावन लाख, पनचानबे हजार, आठ सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोहन मरकाम,

11. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति का उल्लेख किया ।

सभापति महोदय ने कथन किया कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस बाबत् अधिकारियों को निर्देशित करेंगे ।

12. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के द्वीतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

डॉ. रमन सिंह,

13. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम-23 के अनुसार अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिये नियत है, तदनुसार कार्यसूची के मद-7 का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अशासकीय कार्य लिया जायेगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

14. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के द्वीतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

सर्वश्री संतराम नेताम, धर्मजीत सिंह, डॉ.श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, सर्वश्री सौरभ सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा, शैलेष पाण्डेय,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

श्री देवव्रत सिंह, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष,

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 7 का कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2020 (क्रमांक 35 सन् 2020)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2020 (क्रमांक 35 सन् 2020) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2020 (क्रमांक 35 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020) पुर: स्थापित किया ।

(3) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020)

श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020) पुर: स्थापित किया ।

16. सदन को सूचना

मानानीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को सभा में शासकीय संकल्प के प्रस्तुतिकरण के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा संकल्प से संबंधित सुसंगत दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के बाद संकल्प पर चर्चा कराये जाने की मांग किये जाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संबंधित सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध कराने की सहमति दी थी ।

जिसके तारतम्य में शासकीय संकल्प से संबंधित सुसंगत दस्तावेज प्राप्त हो गये हैं, जिन्हें खानेदार आलमारी से माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ वितरित किया जा रहा है ।

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को यह भी सूचित किया कि आज की कार्यसूची में शामिल अशासकीय संकल्प आगामी सत्र में लिये जायेंगे ।

सायं 5.47 बजे, विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 (पौष 7, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा